

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/परिपत्र/2025-26

दिनांक :-यथा हस्ताक्षर

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग (संभाग कार्यालय)..... ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..... ।
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ।

विषय:- शिक्षा विभाग के कार्यालयों हेतु भारत में निर्मित सामान क्रय करने एवं उपयोग में लेने के संबंध में।

प्रसंग:- माननीय मंत्री महोदय, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं पंचायती राज विभाग की अशा.टीप क्रमांक: मंत्री/शिक्षा/पंरा/2025/18315 जयपुर, दिनांक 04.08.2025 एवं शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5), विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.12(02)शिक्षा-5/विविध/2025/22961 पार्ट-1 दिनांक 12.08.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार एवं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से प्राप्त प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामान ही उपयोग में लेने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः शासन से प्राप्त पत्र व अ.शा.टीप की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
(वरिष्ठ), समग्र शिक्षा अभियान (समसा) बीकानेर

दिनांक :-यथा हस्ताक्षर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/परिपत्र/2025-26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/ग्रुप-5), विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (प्रशासन/समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक जयपुर/जोधपुर।
6. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
9. प्रबन्धक, गुरुनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
11. प्रधानाचार्य, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर/जयपुर/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर/बांसवाड़ा।
12. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर।
13. शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र, जोधपुर।
14. सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी ।

Signature Valid

Digitally signed by Sita Ram Jat

Designation: Director

Date: 2025.08.22 17:15:12 IST

Reason: Approved





International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

राजस्थान-सरकार
शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक:-प.12(02)शिक्षा-5 / विविध / 2025 / 22961पार्ट-1

दिनांक-यथा हस्ताक्षर

1. आयुक्त, मिड़ डे मिल, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
5. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
8. सचिव, स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
9. राज्य सचिव राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड, जयपुर।
10. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।

विषय:- शिक्षा विभाग के कार्यालयों हेतु भारत में निर्मित सामान क्रय करने एवं उपयोग में लेने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय मंत्री, कार्यालय मंत्री, शिक्षा विद्यालयी, संस्कृत विभाग एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 04.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामान ही उपयोग में लेने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः प्राप्त अ.शा.टीप की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि पत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये, यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो ऐसी दशा में सामान क्रय करने /उपयोग में लेने हेतु माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अनुमति ली जायेगी। यदि बिना अनुमति भारत में निर्मित उत्पाद के अलावा और सामान खरीदा गया व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेश दत्त माथुर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) /प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1 /संस्थापन) विभाग।
5. वरिष्ठ संयुक्त उप विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. उपनिदेशक, सांख्यिकी, स्कूल शिक्षा विभाग।

शासन उप सचिव

कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) विभाग एवं
पंचायती राज विभाग

विषय:-शिक्षा विभाग के कार्यालयों हेतु भारत में निर्मित सामान क्रय करने एवं उपयोग में लेने के संबंध में।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की परिकल्पना की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की इसी परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामान ही उपयोग में लिया जाये। यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी दशा में सामान क्रय करने/उपयोग में लेने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति ली जावे। यदि बिना अनुमति के भारत में निर्मित उत्पाद के अलावा और सामान खरीदा गया तो व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी।


(मदन दिलावर)
मंत्री

शासन सचिव,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अशा.टीप क्रमांक: मंत्री/शिक्षा/पंरा/2025/18315

जयपुर, दिनांक: 04.08.2025